



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आश्विन 1939 (श10)
(सं0 पटना 925) पटना, मंगलवार, 10 अक्टूबर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

10 अक्टूबर 2017

एस०ओ० 209, दिनांक 10 अक्टूबर 2017—बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) और बिहार गजट के असाधारण अंक, संख्या पटना 875 दिनांक 21 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 169, दिनांक 21 सितम्बर, 2017 के साथ पठित बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी, सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्ररुप-जीएसटीआर-3ख में उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को या इससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी, यथा —

सारणी

क्रम सं.	मास	प्ररुप जीएसटीआर-3ख में विवरणी फाइल करने के लिए अंतिम तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	अगस्त, 2017	20 सितंबर, 2017
2.	सितम्बर, 2017	20 अक्टूबर, 2017
3.	अक्टूबर, 2017	20 नवम्बर, 2017
4.	नवम्बर, 2017	20 दिसम्बर, 2017
5.	दिसम्बर, 2017	20 जनवरी, 2018

2. प्ररुप जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व का निर्वहन करने के लिए करों का संदाय : प्ररुप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर, ब्याज, शास्ति, फीस या उक्त अधिनियम के अधीन संदेय किसी अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का निर्वहन उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा दी गयी अंतिम तारीख जिस तक उससे उक्त विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, से पूर्व यथास्थिति इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही या इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय बही के नामे खाते डालकर करेगा।

3. यह अधिसूचना दिनांक 15 सितम्बर, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-20/2017-3695)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

10 अक्टूबर 2017

एस०ओ० 210, एस०ओ० 209, दिनांक 10 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-20/2017-3695)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 10th October 2017

S.O. 209, dated the 10th October 2017—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 and notification S.O. No.169 dated 21st September, 2017 published in Bihar Gazette, Extra ordinary, vide Gazette No. 875 dated 21st September, 2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return for the month as specified in column (2) of the Table below shall be furnished in FORM GSTR-3B electronically through the common portal on or before the last dates as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Month	Last Date for filing of return in FORM GSTR-3B
(1)	(2)	(3)
1.	August, 2017	20 th September, 2017
2.	September, 2017	20 th October, 2017.
3.	October, 2017	20 th November, 2017
4.	November, 2017	20 th December, 2017.
5.	December, 2017	20 th January, 2018

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B:** Every registered person furnishing the return in FORM GSTR-3B shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as detailed in column (3) of the said Table, on which he is required to furnish the said return.

3. This notification shall come into force with effect from 15th September, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-20/2017-3695)]

By the order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 925-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>